



समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

५

द्वितीय अपील क्रो-

/2018

अपीलार्थी

अपील - 6078/२०१८/ग्वालियर/३३८१८

भगवानदास, आयु लगभग 48
वर्ष, आत्मज स्व०मुन्नादास, निवासी- ग्राम
महाराजपुर तहसील- पनागर, जिला-जबलपुर
(म.प्र.)

प्रियोंक १२-१०-१८ को
मेरी कमांक को उत्तर भेज
मामूल की राजस्व

विरुद्ध

उत्तरार्थी/अनावेदक १२-१०-१८
म.प्र.शासन

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा-44(2) म०प्र०भ०रा०संहिता १९५९

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 1623/अपील/2017-18में पारित आदेश दिनांक 18/09/2018 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय राजस्व मंडल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहे हैं, उक्त आदेश इस प्रकरण में आगे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जायेगा। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी/1 के रूप में संलग्न है।

प्रस्तुति ग्रहणिकर्ता राजस्व मंडल

अपील के तथ्य

यह कि, अपीलार्थी स्व०मुन्नादास वल्द मंगलदास, निवासी- ग्राम-महाराजपुर, तहसील पनागर व जिला-जबलपुर के वैधानिक वारसान हैं। स्व०मुन्नादास वल्द मंगलदास की प्रकरण के दौरान मृत्यु हो चुकी हैं। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम-महाराजपुर, नं.बं.664(छै: सौ चौसठ), पटवारी हल्का नं. 20(बीस), स्थित निजी स्थित, हित, अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ख.नं. 9-8/1 (अन्धान्वे बटे एक) रकवा 0,469 हे०(शून्य दशमलव चार छै: नौ हे०), ख.नं.106/1(एक सौ छै: बटे एक) रकवा 1.619 (एक दशमलव छै: एक नौ हे०), ख.नं.193 (एक सौ तिरान्वे) रकवा 0.150 हे०(शून्य दशमलव एक पॉच शून्य), कुल खासरे 03 (तीन) कुल रकवा 2.238 हेक्टेयर (दो दशमलव दो तीन आठ हे०) के संबंध में नगर भूमि रीमा (अधिकतम एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा-6 (1) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा जबलपुर के समक्ष विवरणी प्रस्तुत की गई। सक्षम अधिकारी नगर



२४

पोषणीय है ? नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 (1) एंव (3) इस प्रकार है :-

धारा - 33 अपील -

- (1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये आदेश से, जो धारा 11 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है व्यक्ति कोई व्यक्ति उस आदेश से तीस दिन के भीतर जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाय। (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) :
- (2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।
- (3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

उपधारा 2 में बताया गया है कि अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसका यथासंभव शीघ्रता से उस पर आदेश करना होता है जो वह ठीक समझे व उपधारा 3 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा अर्थात् उसके विरुद्ध कोई अपील/रिवीजन नहीं लगेगी।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 18-9-18 के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रचलन-योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

✓

सदस्य